भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 2249
12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैंड फंड में बढ़ोतरी

2249. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः
श्री राजकुमार रोतः
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संसद सदस्य (एमपी) को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की राशि मिलती है, जबकि राजस्थान जैसे राज्यों में विधान सभा सदस्य (एमएलए) को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए समान राशि प्रदान की जाती है;

(ख) क्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुत बड़ा होता है और सरकार सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों की व्यापक आवश्यकताओं और विकासात्मक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के अंतर्गत निधियों में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब तक होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हरियाणा के संसद सदस्यों के लिए एमपीलैंड निधि के वितरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) जी हाँ, सांसद सदस्य को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रूपये की राशि मिलती है।

विधान सभा सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडीएस) के लिए वार्षिक पात्रता राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है तथा यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ,वित्त मंत्रालय के परामर्श से उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ,निधियों की पात्रता में संशोधन के सुझावों सहित हितधारकों से निरंतर आधार पर नए सुझाव प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है।

(घ)एमपीलैड्स के अंतर्गत ,मंत्रालय ने हरियाणा राज्य में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के लिए ₹50.00 करोड़ तथा मौजूदा राज्यसभा सदस्यों के लिए ₹32.50 करोड़ की धनराशि जारी की है।

*****